न्यायालय सहायक कलक्टर, किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद सं0 165/2010

1. कैलाश नारायण पुत्र मांगीलाल उर्फ भाणू ढोली निवासी गुर्जरो का मौहल्ला, नया शहर किशनगढ़ जिला अजमेर

2. गोपाल पुत्र श्री मांगीलाल उर्फ भाणू ढोली निवासी गुर्जरो का मौहल्ला, नया शहर किशनगढ़ जिला अजमेर

3. रामेश्वर पुत्र श्री मांगीलाल उर्फ भाणू ढोली निवासी गुर्जरो का मौहल्ला, नया शहर किशनगढ़ जिला अजमेर —वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ जिला अजमेर

—प्रतिवादी

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 05.05.2025

उपस्थिति :— श्री रामदेव गुर्जर वकील वादी

2. पेरोकार सरकार प्रतिवादी

संक्षेप में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं वादीगण के पिता मांगीलाल उर्फ भाणू पुत्र जैठू ढोली के कब्जे काश्त एवं स्वत्व एवं अधिकार परिपक्व की कृर्षि भूमि ग्राम किशनगढ़ स्थित खसरा नम्बर पुराने 417 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 961/2 रकबा 12 बीघा भूमि पर वादीगण के पिता का तथा वादीगण के पिता के स्वर्गवास हो जाने के बाद वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसका संज्ञान तहसीलदार किशनगढ़ को भी है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का उनके पिता के जीवनकाल से संम्बत 2012 से आज तक निरन्तर एवं शान्ति पूर्ण तरिके से कब्जा चला आ रहा है। जिसके आधार पर तत् कालीन तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 91/85 अन्तर्गत धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम में वादीगण का कब्जा मांगते हुए दिनांक 10.10.85 को वादी कैलाश नारायण के पक्ष में नियमन करने की सिफारिश की थी। वादी कैलाशनारायण व उनके दो भाई गोपाल एवं रामेश्वर का उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। राज्य सरकार के जरिये जिलाधीश महोदय अजमेर को धारा 80 सी.

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

के तहत दो माह का नोटिस प्रेषित कर वादग्रस्त भूमि को वादीगण के नाम अंकित ने हेतु निवेदन किया था। किन्तु दो माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर भी उक्त भूमि वादीगण के खाते में दर्ज नहीं की गई है। इस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण द्वारा दिनांक 23.02.2010 को अधिसूचना पत्र प्रेषित करने तथा सूचना पत्र की तामिल प्रतिवादी पर हो जाने के पश्चात दो माह का समय हो जाने पर भी वादग्रस्त भूमि वादीगण के खाते में अंकित नही करने के कारन यह वादकारण उत्पन्न हो कर सतत् जारी है। अतः किशगनढ़ बी. के खसरा नम्बर 417 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 961/2 मिन रकबा 12 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में खातेदार अंकित किया जावे। प्रतिवादी पेराकार सरकार ने वाद पत्र का जवाब पेश कर वाद पत्र को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि ग्राम किशनगढ़ स्थित खसरा नम्बर 417 वर्तमान खसरा नम्बर 961/2 मिन रकबा 12 बीघा भूमि में सरकारी भूमि है तथा राजस्व रेकार्ड में सरकारी खाते में सिवायचक दर्ज हैं। जिस पर वादीगण का कोई लेना देना नहीं है तथा न ही कब्जा काश्त है। वादीगण के विरूद्ध राजकीय भूमि पर अतिक्रमण से सम्बन्धित प्रकरण संख्या 91/85 अन्तर्गत धारा भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय तहसीलदार किशनगढ़ के निर्णय दिनांक 10.05.85 द्वारा प्रकरण में नियमन की सिफारिश की गई थी। किन्तु वादीगण के पक्ष में सक्षम अधिकारी / सक्षम कमेटी द्वारा नियमन नहीं किया गया था। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि पर बतौर अतिक्रर्मी काबिज रहे है। एक अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। तथा न ही वादीगण को उक्त राजकीय भूमि पर किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 417 वर्तमान खसरा नम्बर 961/2 किस्म गै.मु. पहाडी दर्ज है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत किसी प्रकार की खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। उक्त गै. मु. पहाडी जो पशुधन की चराई के काम आ रहीं है तथा नगर परिषद की सीमा में स्थित है तथा जिस पर खातेदारी अधिकारी नहीं दिये जा सकते। अतः वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

वाद पत्र का तनकीवार विवेचन करते हुये वाद में दिनांक 05.04.2012 को अन्तिम आदेश पारित किया गया जिसमें वादीगण के वाद को खारिज किया गया। वादीगण द्वारा उक्त आदेश दिनांक 05.04.2012 की अपील न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष पेश की गई जिसमें अपील को स्वीकार करते हुये श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी ने निर्देश दिये कि तहसीलदार किशनगढ द्वारा जो अनुशंषा की गई है उस अनुशंषा के तहत प्रकरण को आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। उक्त आदेश के अनुसरण में दिनांक 14.02.2024 को तहसीलदार किशनगढ को उनके प्रकरण संख्या 91/1985 अन्तर्गत धारा 91

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

अधि. में दिनांक 10.10.1985 को पारित आदेश की पालना हेतु पृथक से तहरीर जारी गई एवं वाद की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया।

दिनांक 29.04.2024 को वकील वादी उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी. पी.सी. का पेश किया जिसे न्यायहित में आंशिक तौर पर स्वीकार किया गया तथा वाद को पुनः नम्बर पर लिया गया। दिनांक 07.04.2025 को वकील वादी की वाद पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा वाद एवं न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 06.07.2012 के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस सुनी गई, न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 06.07.2012 एवं तहसीलदार किशनगढ के द्वारा प्रकरण संख्या 91/1985 अन्तर्गत धारा 91 भू.राज.अधि. में दिनांक 10.10.1985 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रकरण में संख्या 91/1985 में उल्लेख किया है कि "मामला अप्रार्थी के हक में नियमन योग्य प्रतीत होने पर आराजी खसर संख्या 417 रकबा 12 श्री कैलाश पुत्र मांगीलाल जाति ढोली निवासी किशनगढ के हक में नियमन की जाने की सिफारिश की जाती है"। श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश के अनुसरण में न्यायालय हाजा से तहरीरी क्रमांक/रीडर/2024/997 दिनांक 27.02.2024 को जारी की जा चुकी है जिसमें तहसीलदार किशनगढ को वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार प्रकरण को आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जा चुकें है। वादी उक्त भूमि में केवल और केवल अतिक्रमी की हैसियत से रहा है वादी को न्यायालय से अन्य कोई अनुतोष देय नहीं है अतः वादी का विचारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 05/5/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। .

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)